न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 23/2018
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00081

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट।		भीकीदेवी पुत्री चौथाराम लौहार निवासी रामपुरा तहसील रोहट

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 28/7/21

तहसीलदार रोहट द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285/20 रकबा 15.00 बीघा किस्म बारानी अवल वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072–75 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी भूमी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नंबर की कृषि भूमी पूर्व में मिसल बन्दोबस्त संवत 2017 के अनुसार भूमी की किस्म गै.मु. नदी दर्ज थी। उक्त कृषि भूमी का अप्रार्थी संख्या 1 के पिता चौथाराम के पक्ष में दिनांक 28.06.1973 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया। आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 07.06.1975 को भरा गया। उक्त भूमी गै.मु. नदी थी जिसकी किस्म बारानी अव्वल कर किया गया। तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 385 दिनांक 04.6.1989 के 15 बीघा भूमी का आवंटी चौथाराम पुत्र माना लवार को आवंटन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 710 दिनांक 20.01.2011 के चौथा पुत्र माना कौम पीटल दर्ज हो जाने पर जाति संशोधन कर पुनः चौथा पुत्र माना कौम लवार दर्ज किया गया। व जरिये नामान्तरकरण संख्या 721 दिनांक 07.03.2011 के चौथा के स्थान पर विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 भीकीदेवी पुत्री चौथाराम कौम लवार हाल निवासी बागडिया दर्ज किया गया। उक्त कृषि भूमी की किस्म बन्दोबस्त के पश्चात राजस्व रेकर्ड में गै.मु. नदी से अन्य किस्म बारानी अवल दर्ज हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आंवटित भूमी की किस्म गै.मु. नदी होने से यह भूमी प्रतिबन्धित भूमी की श्रेणी में आती है। अतः उक्त आवंटन धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत आवंटन किया गया जो निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई एवं पत्रावली व उसके संलग्न राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285/20 कुल रकबा 15 बीघा जिसकी किस्म गैर मुमकिन नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी व आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 28.06.1973 के द्वारा यह भुमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता चौथाराम के हक में आवंटन की गई। तथा आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता चौथाराम पुत्र माना लवार के पक्ष में नामान्तरकरण 185 दिनांक 07.06.1975 भरा गया। व उक्त भूमी गै.मु. नदी थी जो बाद में किस्म परिवर्तन बारानी अवल दर्ज हुई। उसके पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 385 दिनांक 4.6.1989 के 15 बीघा भूमी का आवंटी चौथाराम को आवंटन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। व पूर्ववर्ती नामान्तरकरणों में आवंटी चौथाराम चौथा पुत्र माना कौम पिटल दर्ज हो जाने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 710 दिनांक 20.1.2011 के चौथा पुत्र माना लवार दर्ज किया गया। व जरिये नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Raih
Date: 2022.01.30 09:20:25 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश 2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 721 दिनांक 07.03.2011 के चौथा के स्थान पर विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 भीकी पुत्री चौथा लवार हाल निवासी बागड़िया दर्ज किया गया। पत्रावली संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के पक्ष में किया गया आवंटन भूमी की किस्म गै.मु. नदी से बारानी अवल में परिवर्तन कर किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमि प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से उसका आवंटन नहीं किया जा सकता है फिर भी आवंटन कमेटी द्वारा उक्त भूमी का अप्रार्थी संख्या 1 के पिता चौथाराम के पक्ष में आवंटन किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के पिता चौथाराम के पक्ष में आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 28.06.1973 की पालना में किया गया भूमि आवंटन/नियमन विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 28.06.1973 व उसकी पालना में भरे गये ग्राम रामपूरा पटवार मण्डल लालकी तहसील रोहट के नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 07.06.1975 व उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण 385 दिनांक 04.06.1989, 710 दिनांक 20.01.2011 व 721 दिनांक 07.03.2011 को निरस्त कराने हेतु व जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पूनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:20:25 IST
Reason: SelfAttested